न्यायालय श्रीमान् पीठासीन सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

R-863-III/14

श्री के०के० द्विवेदी अभि० द्वारा
आज दि. 11-3-14 को
प्रस्तुत

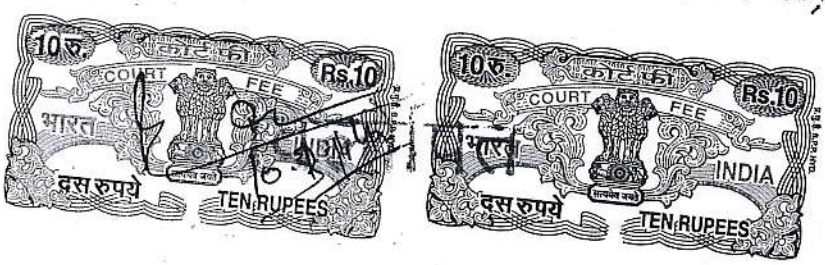

11-3-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सन्तमणि प्रसाद तनय स्व. श्री सूर्यभान पटेल उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम देवरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०, वर्तमान हाल निवास बजरंगनगर रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० ---निगरानीकर्ता

बनाम

1- शासन म०प्र०

2- रामदयाल पिता श्री रामकृपाल बढ़ई } सभी निवासी ग्राम देवरा

3- रामधारी पिता श्री रामकृपाल बढ़ई, } तहसील हनुमना, जिला

4- हरदयाल पिता रामकृपाल बढ़ई } रीवा, म०प्र०,

5- कलावती पति श्रीनिवास बढ़ई }

------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला रीवा, म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 02/निगरानी/2013-14, व आदेश दिनांक 15.1.2014, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ।

==================================

11-3-14
K.K. Dwivedi
Adv

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि निगरानीकर्ता ने नायब तहसीलदार [illegible]

GWL

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 863/III/2014

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.4.2014	यह निगरानी अपर कलेक्टर, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक ०२/१३–१४ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १५–१–१४ के विरूद्व म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। ३/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि नायव तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक ७/अ–६/७८ में पारित आदेश दिनांक ३–५–७८ के विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी की गई थी, जो उन्होंने स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आदेश दिनांक १५–१–१४ से निगरानी सुनवाई के अधिकार न होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने में त्रृटि की है, क्योंकि स्वमेव निगरानी श्रवण करने की शक्तियॉ अपर कलेक्टर को हैं। उन्होंने निगरानी ग्राह्य कर सुनवाई करने की प्रार्थना की। ४/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अवलोकन पर पाया गया कि कि म०प्र०भू राजस्व संहिता (सॅशोधन) अधिनियम, २०११, जो मध्य प्रदेश के असाधारण राजपत्र में दिनांक ३० दिसम्बर २०११ को प्रकाशित हुआ है, किये गये सॅशोधन अनुसार पक्षकार के आवेदन पर अधीनस्थ पर अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व स्वमेव निगरानी अथवा	

निगरानी प्रस्तुत करने पर श्रवण करने की शक्तियॉ कलेक्टर/ अपर कलेक्टर को नहीं हैं, जबकि आवेदक ने नायव तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक ७/अ-६/७८ में पारित आदेश दिनांक ३-५-७८ के विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी २३-१०-१३ को प्रस्तुत की है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण कमांक ०२/१३-१४ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १५-१-१४ से लिया गया निर्णय नियमानुकूल होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

५/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है । पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य